आवश्यक सूचना

जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 के अंतर्गत हितबद्ध आवेदकों को सूचित किया जाता है कि विषयवार रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय आदेशानुसार सभी अभ्यर्थियों हेतु काउंसलिंग की तिथि दिनांक 14.07.2017 (शुक्रवार) को पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक स्थान– विकास भवन कार्यालय जिला परिषद, शेखपुरा में निर्धारित किया गया है। काउंन्सिलिंग हेतु विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति के विरूद्ध बीस गुणा न्यूनतम मेधा अंक (Cut of marks) के अभ्यर्थियों को सम्मलित होने के लिए बुलाया गया है। काउंसलिंग के समय सभी प्रमाण पत्रों का मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जैसे– सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्राप्त महाविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र, STET का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र, जाति एवं आवास प्रमाण पत्र, आवेदन प्राप्ति रसीद, दो पासपोर्ट आकार का फोटो, प्रमाण पत्रों की सत्यता एवं किसी अन्य नियोजन ईकाई में पूर्व से नियोजित नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र। साथ ही प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति दो प्रतियों में अलग–अलग फोल्डर फाईल में तैयार कर लाना अनिवार्य होगा। उक्त आशय की सूचना एन0आई0सी0 के बेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।

आदेशानुसार

7/7/17

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, शेखपुरा।

Tel :- 06341-223304
Email :- ddc-sheikhpura-bih@nic.in
Fax :- 224903

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा

पत्रांक 856/

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, शेखपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
बिहार, पटना।

शेखपुरा, दिनांक 04/07/2017/

विषय :– माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 1693 दिनांक 03.07.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 2064 दिनांक 23.12.16 एवं पत्रांक 817 दिनांक 20.03.2017 के आलोक में जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन विषयवार रिक्ति के आधार पर कोटिवार एक रिक्ति के विरूद्ध पांच गुणा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया गया था, जिसमें माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत 117 रिक्ति के विरूद्ध 18 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत 117 रिक्ति के विरूद्ध 03 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसका नियुक्ति पत्र निदेशानुसार 01.04.2017 को वितरित किया जाना था, परन्तु कतिपय कारणों के फलस्वरूप नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किया जा सका, जिसका वितरण भी 24.07.17 को किया जाएगा।

अनुमान है कि विषयवार रिक्ति के अनुसार कोटिवार एक रिक्ति के विरूद्ध 20 गुणा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जाता है तो लगभग अधिकांश सीट भर जायेगे। शेष बचे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने का निर्णय लिया गया। अतः शिक्षक नियोजन हेतु नियोजन ईकाई द्वारा समय तालिका तैयार की जा रही है जो निम्नवत् है :–

क्र०सं०	विषय	निर्धारित तिथि
01	शेष अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाने की सूचना	07.07.2017
02	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान/जाँच की तिथि	14.07.17
03	जिला परिषद के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	15.07.2017
04	नियोजन ईकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण	17.07.2017
05	जिला स्तर पर नियोजन ईकाई द्वारा काउंसलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना	24.07.2017

अतः सादर अनुरोध है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार निर्धारित तिथि का अनुमोदन करने की कृपा की जाय ताकि नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

विश्वासभाजन
4/7/17
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, शेखपुरा

Letter(2017)\July. 17\04-07-2017 (8)

जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 शेखपुरा

काउंसलिंग हेतु आवश्यक सूचना

जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 के अंतर्गत हितबद्ध आवेदकों को सूचित किया जाता है कि विषयवार रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय आदेशानुसार सभी अभ्यर्थियों हेतु काउंसलिंग की तिथि दिनांक 14.07.2017 (शुक्रवार) को पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराहन 04:30 बजे तक स्थान– विकास भवन कार्यालय जिला परिषद, शेखपुरा में निर्धारित किया गया है। काउंन्सिलिंग हेतु विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति के विरूद्ध बीस गुणा न्यूनतम मेधा अंक (Cut of marks) के अभ्यर्थियों को सम्मलित होने के लिए बुलाया गया है। काउंसलिंग के समय सभी प्रमाण पत्रों का मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जैसे– सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्राप्त महाविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र, STET का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र, जाति एवं आवास प्रमाण पत्र, आवेदन प्राप्ति रसीद, दो पासपोर्ट आकार का फोटो, प्रमाण पत्रों की सत्यता एवं किसी अन्य नियोजन ईकाई में पूर्व से नियोजित नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र। साथ ही प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायापति दो प्रतियों में अलग–अलग फोल्डर फाईल में तैयार कर लाना अनिवार्य होगा। विषयवार एवं कोटिवार काउंसलिंग के लिए न्यूनतम मेधा अंक (Cut of marks) निम्नवत् है :–

उच्चतर माध्यमिक

क्र0 सं0	विषय का नाम	कुल रिक्ति.	UR	URF	BC	BCF	EBC	EBCF	SC	SCF
01	राजनीति शास्त्र	05	69.66 के बाद 61.43 तक	-	64.07 के बाद सभी	-	-	-	-	-
02	कम्प्यूटर विज्ञान	01	70.80 के बाद 6673 तक	-	-	-	-	-	-	-

माध्यमिक

क्र0 सं0	विषय का नाम	कुल रिक्ति	UR	URF	BC	BCF	EBC	EBCF	SC	SCF	ST	STF
01	सामाजिक विज्ञान	13	69.80 के बाद 67.08 तक	65.36 के बाद 64.02 तक	68.95 के बाद 63.68 तक	65.81 के बाद 62.29 तक	67.26 के बाद सभी	66.99 के बाद सभी	65.07 के बाद सभी	-	-	-
02	विज्ञान	21	66.02 के बाद 60.27 तक	-	64.48 के बाद सभी	-	59.82 के बाद सभी	-	-	-	-	-
03	गणित	16	68.33 के बाद 58 88	—	66.11 के बाद सभी	-	65.89 के बाद सभी	-	-	-	-	-
06	संस्कृत	15	61.60 के बाद सभी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	शारीरिक शिक्षक	04	61.35 के बाद 58.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अतः हितबद्ध अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि को कार्यालय अवधि में आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर काउंसलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेंगें। विलंब से/निर्धारित तिथि एवं समय के बाद उपस्थित/अनुपस्थित अभ्यर्थियो का दावा स्वतः समाप्त समझा जायेगा। प्रमाणपत्रों के जाँचोपरांत गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार नियोजन ईकाई के पास सुरक्षित रहेगा।

ह०/- 7/7/17
उप विकास आयुक्त सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, शेखपुरा।

ज्ञापांक 866 / दिनांक 7/7/2017 /

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं तद्संबंधी सूचना का सी०डी० (Excel Sheet) तैयार सूची को जिले के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/- 7/7/17
उप विकास आयुक्त सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, शेखपुरा।